

झारखण्ड सरकार

मत्स्य निदेशालय

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-247/2018-19/ 15(आ0) /मत्स्य/रॉंची/दिनांक 28.12.2023

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी
-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर।

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत मो0 2,61,600/- (दो लाख एकसठ हजार छः सौ) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 16 रा0 (विभाग) दिनांक 24.07.2023, शुद्धि-पत्र सं0 1608 दिनांक 22.12.2023, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1017, आवंटन सं0 38 आ0 (वि0) दिनांक 31.07.2023, ऑनलाईन आवंटन सं0 1896, 1897 एवं 1898 तथा मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 09(आ0) दिनांक 02.08.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत मो0 2,61,600/- (दो लाख एकसठ हजार छः सौ) रु0 मात्र सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 16 रा0 (विभाग) दिनांक 24.07.2023, शुद्धि-पत्र सं0 1608 दिनांक 22.12.2023, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1017, आवंटन सं0 38 आ0 (वि0) दिनांक 31.07.2023, ऑनलाईन आवंटन सं0 1896, 1897 एवं 1898 तथा मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 09(आ0) दिनांक 02.08.2023 के आलोक में मो0 2,61,600/- (दो लाख एकसठ हजार छः सौ) रु0 मात्र के निधि का आवंटन जाता है। यह आवंटन स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 954.96 लाख (नौ करोड़ चौवन लाख छियान्वे हजार) रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन/उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निधि का आवंटन:

क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 01-वेतन 09 मानदेय	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S24050010120010109	
1	2	3	4
1	जि0म0पदा0-सह-मु0कार्य0पदा0, देवघर	261600	261600
कुल योग:		261600	261600

मो0 दो लाख एकसठ हजार छः सौ रु0 मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी.टी.ई.-11 /2022-23/274/बजट, दिनांक 31.03.2023 के आलोक में 2023-24 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।
3. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-533 (वि०) दिनांक-03.03.2004 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित हो ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक माह का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
6. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर होंगे जो राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
10. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाय।
11. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०- ऑनलाईन आवंटन।

15 (अ०)
28/12/2023

विश्वासभाजन

28/12/23
(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-247/2018-19/ 15 (अ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 28.12.2023

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-247/2018-19/ 15 (अ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 28.12.2023

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक एवं उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/23

28/12/23

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - IV/247/23-24/II/15

दिनांक - 28-Dec-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050010120010109 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना 01-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme State Scheme : FISHERIES EXTENSION, RESEARCH AND TRAINING SCHEME(0564) Central Scheme : NA	72955	DGRFSHE83 DEEPANKAR SHIT DIST.FISHERIES OFFICER DGR 09 - मानेद्वय	261,600.00 रुपये दो लाख इकसठ हजार छः सौ



योग: रुपये दो लाख इकसठ हजार छः सौ 261,600.00

क्रमिक योग:

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मौग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन & 20 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050010120010109	Total
1	2	3	4	5	मानदेय	7
1	Deoghhar	DGRFSHE83	Deepankar Shit	Dist.Fisheries Officer Dgr	₹2,61,600.00 (72955)	₹2,61,600.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,61,600.00 (nks yklk bdlB gtlk N% lks) रुपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

15(आ०)
28/11/2023

28/11/23